379

487

# न्यायालय समक्ष सदस्य राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर,
## सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

CANCELLED CANCELLED CANCELLED

R 5080-II/16

Rs. 201-

1– शंकर सिंह तनय दीनदयाल सिंह उम्र 45 साल, पेशा खेती निवासी ग्राम भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

2– गया सिंह तनय दीनदयाल सिंह उम्र 41 साल पेशा खेती, निवासी ग्राम भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

3– दीनदयाल सिंह तनय भागीरथी सिंह उम्र 75 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

........................**आवेदकगण**

**बनाम्**

1– **रामकरण सिंह तनय लक्ष्मण** सिंह उम्र 45 साल पेशा खेती निवासी ग्राम भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ................**अनावेदक**

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. दिनांक 14.09.2015 जरिए अपील प्रकरण 167 अ – 13/2011–12 बाबत् हटाए जाने अवरोध रास्ता भूमि खसरा क. 82/1 एवं 82/2 स्थित ग्राम भोलगढ़ तह. हुजूर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्री ... द्वारा ... दिनांक 15-2-16 प्रस्तुत ... रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

## संक्षिप्त विवरण

(अ)– अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के जरिए भूमि खसरा क. 82/1, 82/2 के जुज रकबा 0.010 हे. में रास्ता होने का आवेदन पत्र पेश किया था इसी आशय का प्रतिवेदन हल्का पटवारी द्वारा भी दिया गया व यह स्पष्ट किया गया कि कथित रास्ता मात्र 0.004 हे. भूमि खसरा क. 82/1 में एवं ख.क. 82/2 में रकबा 0.004 हे. रास्ता है। किन्तु बहुत दिनों तक प्रकरण पास में रखे रहने के बाद तथा आदेश पारित करने की कई तिथि नियत किए।

गयासिंह

.......2

(379)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**.5080–**II**/2016 जिला–रीवा

शंकर सिंह / रामकरण सिंह

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती गीता नामदेव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 167/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |